न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **03/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/50

1. श्री भेरूलाल पिता भगवानलाल दादा देवजी जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री उदा पिता दयाराम जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
2. श्रीमती चम्पाबाई पत्नी वेणीराम जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
3. श्रीमती पारसबाई पत्नी गणेशलाल जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
4. श्रीमती पारसबाई पत्नी शंकरलाल जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
5. श्री शंकर पिता वेणीराम जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
6. श्रीमती नारायणी पत्नी उदेराम जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोरठ पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की आराजी नम्बर 675 रकबा 2.4929 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। मौजा मोरठ, पटवार हल्का मोरठ, तह० मावली में स्थित आराजी नम्बर 567 रकबा 1.4164 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हैं। प्रार्थी अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में कर रखा है जिसके पश्चिम दिशा में विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी नम्बर 567 स्थित हैं तथा विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 567 के उत्तर में आराजी नम्बर 568 के सटमा 20 फीट का रास्ता प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में आने जाने हेतु स्थित है जिसे प्रार्थी अपनी आराजीयात में आता जाता हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रास्ता आराजी नम्बर 563 जो बिलानाम रास्ता से जुड़ता हैं लेकिन आराजी नम्बर 567 के उत्तर में स्थित रास्ता विपक्षी सख्या 1 से 5 के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 से 5 आए दिन प्रार्थी को अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु रूकावट पेदा करते रहते हैं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में आने जाने का रास्ता नहीं हैं तथा आराजी नम्बर 567 में स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी सदीप से करता चला आ रहा हैं। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं जिसमें रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया हैं उक्त नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

2. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में बताया हुआ रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नम्बर 567 के उत्तर दिशा में स्थित हैं जो प्रार्थी की आराजी में मिलता हैं तथा प्रार्थी के पास अपनी आराजी नम्बर 675 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है उक्त रास्ते से ही आकर प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र में वर्णित हैं जिसमें फसल वगैरा वर्तमान में बोई हैं लेकिन उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षीगण आए दिन प्रार्थी को जलील व परेशान करते हैं तथा रास्ते को अपने खातेदारी में होने से बन्द कर देते हैं। जिससे मुझ प्रार्थी को काफी परेशानी होती हैं। इसलिये प्रार्थी अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु लगभग 20 फिट के रास्ते की भूमि को रास्ता कायम कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जा रहा हैं तथा प्रार्थी रास्ते में आने वाली भुमि के बदले में विपक्षी को अपनी आराजी नम्बर 675 में जाने हेतु विपक्षी की जमीन जो रास्ते के उपयोग में आ रही हैं उक्त जमीन के बदले प्रार्थी जमीन देने को तैयार हैं अथवा रास्ते में उपयोग में आने वाली भुमि की कीमत डी.एल.सी. की रेट अनुसार न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावेगी वह विपक्षी संख्या 1 से 5 को अदा करने को तैयार हैं इसलिये विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी की आराजीयात में स्थित रास्ते की भुमि को विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी से कम कर बिलानाम रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हैं।

3. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 675 में 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 का हैं व 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 6 का हैं तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थी के मध्य आपसी बटवाडा हो चुका हैं व विपक्षी संख्या 1 व 6 को अपने हिस्से में आने जाने हेतु प्रार्थी ने भी अपने हिस्से की आराजीयात के पश्चिम दिशा में रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लम्बाई 188 फीट, चौड़ाई 16 फीट का विपक्षी संख्या 1 व 6 के लिये छोड रखा हैं। विपक्षी संख्या 6 प्रार्थी नहीं बनने से विपक्षी नहीं बनाया हैं तथा विपक्षी संख्या 1 व 6 आपस में मिले हुए हैं व प्रार्थी को परेशान व जलील करते हैं इसलिये प्रार्थी विपक्षीगणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी कराने का अधिकारी हैं। विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थी से आए दिन उक्त रास्ते की भूमि को लेकर झगड़ा करते हैं। तथा उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा करते हैं। इसलिये विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध स्थगन आदेश इस आशय का जारी कराया जावें कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र में वर्णित हैं जिसमें आने जाने में विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी की आराजी नम्बर 567 के उत्तर दिशा में सदीप से बने रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी को करने देवें, न उक्त रास्ते की भुमि को विक्रय हस्तानान्तरण करें, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अपने परिवारजनों, नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें। प्रार्थी का प्राईमाफैसी केश हैं व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। स्थगन आदेश विपक्षीगणों के जारी होने से विपक्षीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि स्थगन आदेश जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसका मुल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं है।

4. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 675 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी के आराजी नम्बर 567 के उत्तर दिशा में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये हुए 20 फिट चौड़े रास्ते की भुमि को विपक्षी संख्या 1 से 5 के खातेदारी से कम कर रास्ता कायम किया जावें उक्त भुमि में कायम किया गया रास्ता राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में भी रास्ता अमल दरामद कर तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 7 को आदेशित किया जावें व रास्ते में आने वाली भुमि की कीमत डी.एल.सी. की रेट से न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावें वह राशि प्रार्थी से विपक्षी संख्या 1 से 5 को अपने अपने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दिलाई जावें। विपक्षीगणों के विरूद्ध इस आशय का स्थगन आदेश जारी फरमाया जावें कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र में वर्णित हैं जिसमें आने जाने में विपक्षीगणों के खातेदारी की आराजी नम्बर 567 के उत्तर दिशा में सदीप से बने रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी को करने देवें। उक्त रास्ते की भुमि को विपक्षीगण विक्रय हस्तानान्तरण नहीं करें न रास्ते की भुमि का उपयोग उपभोग करने में प्रार्थी को कोई रूकावट पैदा करें, न रास्ता बन्द करें, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अपने परिवारजनों, नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 567 के उत्तरी भाग पर आराजी नम्बर 675 पर पहुंचने के लिये 20

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

फीट चौडा कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है, न ही वर्तमान में मौजूद हैं। जब इस आराजी पर कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है तो उसका प्रार्थी द्वारा उपयोग करने का कथन स्वयमेव ही कपोल कल्पित एवं निराधार हैं। वास्तविकता तो यह है कि आराजी नम्बर 675 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर विपक्षीगण की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 567 स्थित है तथा आराजी नम्बर 675 के उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 672 स्थित है तथा इसी वजह से आराजी नम्बर 675 के सहखातेदारों के मध्य इस आराजी नम्बर 675 का पूर्व से पश्चिम लम्बाई में आपसी बंटवाडा किया है जिस बंटवाडे के मुताबिक आराजी नम्बर 675 का उत्तरी भाग हम विपक्षीगण के हिस्से में रखा एवं दक्षिणी भाग प्रार्थी के पिता के हिस्से में रखा है तथा इस आराजी के उत्तरी भाग की पूर्वी सीमा पर 16 फीट चौडा रास्ता छोडा गया ताकि प्रार्थी के पिता भगवान जी आराजी नम्बर 675 में उनके हिस्से में रही दक्षिणी भू भाग की भूमि पर आवागमन कर उपयोग उपभोग कर सके तथा इसी प्रकार प्रार्थी के पिता द्वारा भी दक्षिण भाग में उनके हिस्से में आयी भूमि में पश्चिमी भाग पर 16 फीट चौडा रास्ता दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हूआ छोड दिया ताकि हम विपक्षीगण हमारी आराजी नम्बर 567 से होकर आराजी नम्बर 675 के उत्तरी भाग (जो हमारे हिस्से पांती में रहा) पर आवागमन कर उपयोग उपभोग कर सके। उपरोक्तानुसार रास्ता छोडकर बंटवाडा करने से सभी सहखातेदार सहमत हुवे और मौके पर अपने–अपने हिस्से के भाग पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये तत्पश्चात् दिनांक 13.08.2016 को प्रार्थी के पिता भगवानलाल ने श्रीमती चम्पाबाई व श्रीमती नारायणीबाई के पक्ष में इस सम्बन्ध में स्टाम्प कीमती 100/– रूपये पर सहमति पत्र लिखवाकर अपनी अंगुष्ठ निशानी कर गवाहो की साखे लगवा दी एवं श्रीमती चम्पाबाई व श्रीमती नारायणीबाई ने भी प्रार्थी के पिता भगवान के पक्ष में इस सम्बन्ध में स्टाम्प कीमती 100/– रूपये पर सहमति पत्र लिखवाकर अपनी–अपनी अगुंष्ठ निशानी कर गवाहो की साखे लगवा दी जिससे पक्षकारो के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा और इसकी प्रकट रूप से जानकारी प्रार्थी को भी है फिर भी प्रार्थी ने उसके पिता द्वारा निष्पादित किये गये सहमति पत्र को नजरन्दाज कर मनगढन्त एवं बनावटी कथन कर प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर दिया जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इस प्रकार विपक्षीगण के खेत में प्रार्थी का कभी कोई रास्ता नहीं रहा हैं। प्रार्थी राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ है जिससे उन्होने पटवारी हल्का मोरठ एवं भू अभिलेख निरीक्षक सनवाड से भी यह रिपोर्ट करवा दी कि ''प्रार्थी की आराजी नम्बर 675 में जाने हेतु कोई बिलानाम रास्ता वर्तमान में रिकार्ड में दर्ज नहीं है, आराजी नम्बर 675 में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम [illegible] है'' पटवारी हल्का मोरठ एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार [illegible] रिपोर्ट से [illegible] हो रहा है कि इन्होने मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Bunadia
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

जाये बगैर रिपोर्ट की गई है जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट किसी लोभ व लालच के वशीभूत होकर की हैं। प्रार्थीगण जानबुझकर हम विपक्षीगण की भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में लेना चाहता है और हमे हमारी कृषि भूमि से वंचित करना चाहता है जबकि प्राथी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

6. यह कि आराजी नम्बर 675 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर आवागमन करने हेतु विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 675 में उनके हिस्से की भूमि पर रास्ता छोड रखा है तथा आराजी नम्बर 675 में विपक्षीगण के हिस्से की भूमि पर आवागमन करने हेतु प्रार्थी के पिता द्वारा रास्ता छोड रखा है और इन्ही रास्ते का प्रार्थी एवं विपक्षीगण उपयोग कर आराजी नम्बर 675 में अपने–अपने हिस्से कब्जे की भूमियों पर आवागमन किया जा रहा है और वर्तमान में इन्ही रास्तो का उपयोग कर अपने–अपने हिस्से की भूमियां पर जा–आ रहे हैं। आराजी नम्बर 675 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर पहूंचने के लिए विपक्षीगण की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 567 के उत्तरी भाग पर पश्चिम से पूर्व लम्बाई में कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है लेकिन प्रार्थी आर्थिक, राजनैतिक रूप से सुदृढ है जिससे धनबल एवं बाहूबल के जरिए हम विपक्षीगण की आराजी नम्बर 567 के उत्तरी भाग में रास्ता निकलवाने पर आमादा है। आराजी नम्बर 567 में जब कोई रास्ता ही नहीं रहा है तो प्रार्थी को आने–जाने में रूकावट पैदा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थी ने अपनी सुविधा अनुसार मनचाही दाद प्राप्त करने के उद्देश्य से आधे–अधुरे कथन अंकित किये है। प्रार्थी ने अकेले ने कोई रास्ता नहीं छोड रखा है बल्कि हम विपक्षीगण द्वारा भी आराजी नम्बर 675 में अपने हिस्से की भूमि में से रास्ता छोड रखा है जिसकी लम्बाई भी 188 फीट एवं चौडाई 16 फीट है जिससे होकर ही प्रार्थी आराजी नम्बर 675 में उसके हिस्से कब्जे की भूमि पर आवागमन करता आ रहा हैं। अगर कोई मार्ग किसी की भूमि पर जाने हेतु न हो तो 251 ए के तहत आवेदन किया जा सकता है लेकिन यहां पर आराजी नम्बर 675 के दक्षिणी भू भाग पर जाने हेतु यह मुकदमा प्रार्थी द्वारा किया गया है जबकि आराजी नम्बर 675 के दक्षिणी भू भाग पर आने जाने हेतु विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 675 में ही अपने हिस्से कब्जे की भूमि रास्ता छोड रखा है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं।

7. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 6 आपस में मिले हुए नहीं है बल्कि मौके अनुसार एवं पूर्व में हुवे बंटवाडे के अनुसार जो वास्तविकता है उसी के साथ खडे है और प्रार्थी के उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोग नहीं करना चाहते है इसलिए बतौर प्रार्थी पक्षकार नहीं बने है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की अवैध कार्य में मदद नहीं करने से प्रार्थी ने इस तरह के झूठे कथन विपक्षीगण के लिए अंकित किया हैं। आराजी नम्बर 675 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर आने–जाने हेतु पर्याप्त रास्ता मौजूद है जो कि आराजी नम्बर 675 में ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण ने अपने हिस्से की भूमि में से छोड रखा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन जारी कराने का अधिकारी नहीं है, न ही कानूनन स्थगन जारी किया जा सकता हैं। आराजी नम्बर 567 में कोई रास्ता प्रार्थी के आने–जाने हेतु नहीं रहा है, न ही वर्तमान में मौजूद है। आराजी नम्बर 675 में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 6 के हिस्से कब्जे की भूमियों पर आवागमन हेतु रास्ते मौजूद है इन रास्तो के सम्बन्ध में इसके सहखातेदारों द्वारा अलग–अलग सहमति पत्र भी वर्ष 2016 में निष्पादित कर दिये थे जो जवाब के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। प्रार्थी अब येनकेन प्रकारेण विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 567 में रास्ता कायम करना चाह रहा है जबकि प्रार्थी को इसका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आराजी नम्बर 567 में सदीप से कोई रास्ता मौजूद नहीं रहा है, न हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन जारी कराने का अधिकार नहीं रखता है, न ही कानूनन स्थगन जारी किया जा सकता हैं।

8. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफैसी केस है, न ही सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि आराजी नम्बर 567 में न तो मौके पर रास्ता है, न ही रिकार्ड में रास्ता है जबकि उसके विपरित आराजी नम्बर 675 पर मौके पर रास्ते बने हुवे है और इन रास्ते के सम्बन्ध में सहखातेदारों ने अलग–अलग सहमति पत्र भी एक–दूसरे के पक्ष में निष्पादित कर रखे है तथा इन्ही रास्ते का उपयोग प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। यदि विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया जावेगा तो प्रार्थी इसकी आड में आराजी नम्बर 567 की भूमि पर जबरन रास्ता कायम करने की कोशिश करेगा और विवाद करेगा जिससे निश्चित रूप से विपक्षीगण को ही क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना सम्भव नहीं होगा। जबकि स्थगन आदेश जारी नहीं होने से प्रार्थी को न तो कोई क्षति हो रही है, न ही होने वाली हैं। प्रार्थी को विपक्षीगण के खिलाफ दिनांक 14.07.2024 को या अन्य किसी दिन कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है, न ही निरन्तर जारी है क्योंकि हमारी जमीन में कभी कोई रास्ता ही नहीं रहा हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं वेग तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

9. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 675 में प्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है जिसका स्पष्ट वर्णन दिनांक 13.08.2016 को इसी आराजी के सहखातेदारों द्वारा निष्पादित किये गये सहमति पत्र में है अर्थात इस भूमि पर पहूंचने के लिए रास्ता मौजूद है। इसलिए [illegible] 251 ए का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। विपक्षीगण [illegible] पूर्व सू[illegible] दिये पटवारी हल्का मोरठ एवं भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pu
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख निरीक्षक सनवाड द्वारा लोभ लालच के वशीभूत होकर विपक्षीगण की अनुपस्थिति में गलत व राजस्व रिकार्ड (नक्शा ट्रेस) के विपरित जाकर कानूनन गलत रिपोर्ट पेश की है जो गलत होकर काबिल खारिज योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी कराने बाबत् भी कथन अंकित किये है जबकि प्रार्थी ने स्थगन आदेश बाबत् न तो न्याय शूल्क अदा किया है, न ही मालियत का अंकन किया है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि धारा 251ए राज.टि.एक्ट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं विपक्षीगण को धारा 35 ए जा.दी. के तहत् प्रार्थी से 50,000/— हर्जाने के रूप में दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

10. प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 675 में जाने हेतु कोई बिलानाम रास्ता वर्तमान रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 675 में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं। प्रस्तावित रास्ता आराजी संख्या 567 रकबा 1.4164 किस्म बंजड खातेदार उदा पिता दयाराम जाट हिस्सा 1/3 वगैरह खातेदार में से 0.1080 हेक्टेयर का संलग्न नक्शें अनुसार प्रस्तावित किया गया हैं। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि आराजी नम्बर 567 रकबा 1.4164 हेक्टेयर में से 0. 1080 हेक्टेयर किस्म बंजड एवं वर्तमान डीएलसी दर 751210 रूपये (सात लाख इक्यावन हजार दौ सौ दस रूपये) प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन 81,131/— रूपये बनता है। डीएलसी दर से जमा योग्य राशि 1,62,262/— रूपये बनती हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल संलग्न की गई।

11. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि आराजी नम्बर 675 जाने हेतु रिकॉर्ड में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। अंत में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया कि आराजी नम्बर 567 में न तो मौके पर रास्ता है, न ही रिकोर्ड में रास्ता है। जबकि विपरित आराजी नम्बर 675 पर मौके पर रास्ते बने हुए है और इन रास्ते के सम्बन्ध में सहखातेदारों ने अलग—अलग सहमति पत्र भी एक दूसरे के पक्ष में निष्पादित कर रखे है।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195[illegible] की [illegible]रा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह सम[illegible] [illegible]ना आवश्य[illegible] है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम मोरठ पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 33 पर दर्ज आराजी नम्बर 675 रकबा 2.4929 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। बिलानाम आराजी नम्बर 572 रकबा 0.2590 हेक्टेयर किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी नम्बर 675 के मध्य विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 567 रकबा 1.4164 भूमि स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 572 रकबा 0.2590 हैक्टेयर किस्म रास्ता से विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 567 रकबा 1.4164 भूमि में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा विपक्षीगण की आराजी नम्बर 567 रकबा 1.4164 हैक्टेयर भूमि में से 0.1080 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली विपक्षीगण की भूमि ग्राम मोरठ के आराजी नम्बर 567 रकबा 0.1080 हैक्टेयर में से 0.1080 हैक्टेयर अर्थात 1080 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 7,51,210 रूपये (सात लाख ईकावन हजार दो सौ दस रूपये) प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मुल्यांकन 81,131 रू. बनना बताया है। डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि 1,62,262 रूपये बनता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम मोरठ पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 45 पर दर्ज आराजी नम्बर 567 रकबा 1.4164 हैक्टेयर भूमि में से 0.1080 हैक्टेयर भूमि अर्थात 1080 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 81,131/– का दुगुना 1,62,262/– रूपयें अक्षरे एक लाख बासठ हजार दौ सौ बासठ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार आराजी नम्बर 567 के खातेदारो को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण/खातेदारो द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें।

पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:26:12 IST
Reason: SelfAttested